

क्रमांक:-प.1(ग) ( )का/एसएमई/डीएलबी/18/17776

दिनांक:-24/7/18

-: आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा वर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी वर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
01	पूनम	कार्यालय सहायक	बांदीकुई	आदेशो की प्रतिक्षा निदेशालय
02	श्री राजीव लोचन	कनिष्ठ लिपिक	बांदीकुई	आदेशो की प्रतिक्षा निदेशालय
03	श्री शेलेन्द्र चौबे	कनिष्ठ लिपिक	बांदीकुई	आदेशो की प्रतिक्षा निदेशालय
04	श्री सत्यनारायण शर्मा	चतुर्थ श्रेणी कर्म0	बांदीकुई	आदेशो की प्रतिक्षा निदेशालय
05	श्रीगती कैलाशी देवी	चतुर्थ श्रेणी कर्म0	बांदीकुई	आदेशो की प्रतिक्षा निदेशालय
06	श्रीमती भगवती	चतुर्थ श्रेणी कर्म0	बांदीकुई	आदेशो की प्रतिक्षा निदेशालय
07	श्री दिलीप शर्मा	चतुर्थ श्रेणी कर्म0	बांदीकुई	आदेशो की प्रतिक्षा निदेशालय
08	श्री फतेह सिंह गुर्जर	चतुर्थ श्रेणी कर्म0	बांदीकुई	आदेशो की प्रतिक्षा निदेशालय

उक्त कर्मचारीयो को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिए कार्यमुक्त कर शिघ्र विभाग को अवगत करावे।

नोट:-

- 01.स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
- 02.स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
- 03.यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
- 04.यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:-प.1(ग) ( )का/एसएमई/डीएलबी/18/17777-782 दिनांक:- 24/7/18

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
03. अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी/नगर पालिका/बांदीकुई।
04. उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
05. संबंधित कर्मचारी.....।
06. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ वीरेन्द्र सिंह)

उप निदेशक (प्रशासन)